

# मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख/ 738 पार्ट-5/ 976

भोपाल, दिनांक 04/07/2019

## —:: आदेश ::—

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निम्न आंचलिक कार्यालयों में कंप्यूटर संबंधी कार्य के सुगम संपादन हेतु कॉलम न.-04 में दर्शित/स्वीकृत रिक्त पद विरुद्ध आउटसोर्स से कार्य की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम दो डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने की अनुमति उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन आदेश जारी दिनांक से प्रदान की जाती है:-

क्र.	आंचलिक कार्यालयों का नाम	डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या	निम्न रिक्त पद विरुद्ध रखा जावे
01	02	03	04
1.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल	02	02 सहायक वर्ग-3 पद के विरुद्ध
2.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इंदौर	02	02 सहायक वर्ग-3 पद के विरुद्ध
3.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय उज्जैन	02	02 सहायक वर्ग-3 पद के विरुद्ध
4.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर	02	02 शीघ्रलेखक-3 पद विरुद्ध
5.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर	02	01 सहायक वर्ग-3 एवं 01 वाहन चालक पद के विरुद्ध
6.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर	02	02 सहायक वर्ग-3 पद के विरुद्ध
7.	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा	02	02 सहायक वर्ग-3 पद के विरुद्ध

### शर्तः—

1/ उपरोक्तानुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा ठेके पर लेने हेतु म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय द्वारा अनुबंधित निम्न तीन ऐजेन्सियों से, उनके नाम के सम्मुख आवंटित संभाग अनुसार प्राप्त किये जायेगे:-

क्र	ऐजेन्सी/ संस्था का नाम	संभाग का नाम
1	मेसर्स थर्ड आई सिक्योरिटी सर्विसेस प्रा.लि. इंदौर (म.प्र.)	1. उज्जैन 2. जबलपुर 3. सागर
2.	मेसर्स प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि. भोपाल	1. इंदौर 2. ग्वालियर 3. रीवा
3.	मेसर्स कृष्णा सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विसेस भोपाल	1. भोपाल

2/ आंचलिक संयुक्त/उप संचालक द्वारा कार्यभार का आंकलन कर निर्धारित संख्या सीमा तक ही डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखेंगे।

3/ मंडी बोर्ड के संबंधित आंचलिक कार्यालयों द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक का उपस्थिति के आधार पर कॉलम न-04 में दर्शित अनुसार रिक्त पद विरुद्ध आहरित कर संबंधित एजेंसियों को अनुबंध की शर्त के अध्याधीन नियमानुसार निर्धारित औपचारिकताये पूर्ण तथा वैधानिक कटौत्रा करते हुये आंचलिक कार्यालय स्तर से भुगतान किया जावेगा। अनुबंध की छायाप्रति संलग्न है।

4/ मानव संसाधन एजेंसी से लिये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा कॉलम न-04 में दर्शित पद की पूर्ति/पदस्थी अथवा अनुबंध अवधि समाप्ति दिनांक 17.10.2020, जो पहले हो, तक उपलब्ध रहेगी।

5/ संबंधित आंचलिक संयुक्त/उप संचालक यह सुनिश्चित करें कि उल्लेखित ठेके पर रखे गये किसी भी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को पारिश्रमिक का सीधे भुगतान नहीं किया जावेगा और किसी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को ओवर टाईम देय नहीं होगा।

6/ आंचलिक कार्यालयों में ठेके पर रखे गये प्रत्येक डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों से प्रतिदिवस कम से कम 250 एन्ट्री अथवा आवश्यकतानुसार अन्य कार्यालयीन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/738 पार्ट-5/ 977

*fair/mida*  
(फैज़ अहमद किदवई)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
*भोपाल*

भोपाल, दिनांक 04/07/2019

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)।
4. संयुक्त संचालक (ई-नेम), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. लेखाधिकारी (लेखा/ऑडिट/पेंशन) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6. अधिकृत ऐजेन्सी..... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अंतर्गत आंचलिक संयुक्त/उप संचालको से प्राप्त लिखित डिमाण्ड के आधार पर निर्धारित संख्या तक ही आंचलिक कार्यालय के लिये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रदाय करे। इन डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के देयको को आंचलिक कार्यालयों में प्रस्तुत करें और उनको पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित आंचलिक कार्यालय स्तर से होगा जिसके लिये अनुबंध की शर्तों/प्रावधानों के तहत समस्त औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जाये। डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को ओवर टाईम ड्यूटी के पारिश्रमिक का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
7. आदेश नस्ती/निर्माण/लेखा/ऑडिट/ई-नेम/कम्प्यूटर/शिकायत/विभागीय जांच/स्वीकृति/..... मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

*fair/mida 6/7/19*  
प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
*भोपाल*